



कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर 302015)



क्रमांक एफ-5()कार्मिक/सा.प्र/ननिज/2026/192

दिनांक:- 08/05/2026

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांक एफ.6(3) एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 26.04.2026 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 में प्रभावी दिनांक 01.01.2026 से मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि कर 58 प्रतिशत से 60 प्रतिशत की गई है।

01. मंहगाई भत्ते की गणना पे मैट्रिक्स के मूल वेतन पर की जावेगी।
02. मंहगाई भत्ता 50 पैसे व अधिक की गणना अगले राऊण्ड ऑफ रूपये में की जावेगी।
03. दिनांक 01.01.2026 से 30.04.2026 तक बढ़े हुए मंहगाई भत्ता राजस्थान सरकार सामान्य प्रावधानी निधि सेवा नियम 2021 के तहत निम्नानुसार जीपीएफ में जमा किया जावेगा:-
 - (i) दिनांक 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों का - जीपीएफ खाता
 - (ii) दिनांक 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों का- जीपीएफ 2004
 - (iii) स्वायत्तशाषी निकाय/PSUs/बोर्ड/निगमों का - जीपीएसAB
04. मंहगाई भत्ते का नगद भुगतान दिनांक 01.05.2026 से किया जावेगा (अर्थात् माह मई 2026 का वेतन देय दिनांक 01.06.2026)।

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
RAS
अतिरिक्त आयुक्त
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रशासक महोदय नगर निगम जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त महो०, नगर निगम जयपुर।
4. समस्त उपायुक्त जोन/मुख्यालय, नगर निगम जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम जयपुर।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), नगर निगम जयपुर।
7. अध्यक्ष/महामंत्री कर्मचारी ट्रेड यूनियन नगर निगम जयपुर।
8. अध्यक्ष/महामंत्री मोटर गैराज शाखा नगर निगम जयपुर।
9. अध्यक्ष/महामंत्री अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ नगर निगम जयपुर।
10. समस्त संस्थापन लिपिक नगर निगम जयपुर।
11. प्रभारी ओसवाल डाटा, नगर निगम जयपुर।
12. गार्ड फाईल

अतिरिक्त आयुक्त
नगर निगम जयपुर

Document certified by NARENDRA KUMAR
BANSAL <PROGRAMJMC@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by Narendra
Kumar Bansal
Designation : Additional
Commissioner

order G2

Ref No. :
22063137

Date : 07-05-2026 06:40:18e 374